



CIN: L15132RJ2009PLC029463

AGRO INDIA LIMITED

GSTIN: 08AAECR6823R1ZN

(Formerly known as ELFIN AGRO INDIA PRIVATE LIMITED)

Date: 03rd August, 2026

To,
BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbai-400001

Scrip SYM | Code | ISIN :: ELFIN | 544724 | INE1FEW01013

Subject: Copy of Newspaper Advertisement – Public Notice for the 17th Annual General Meeting to be held on 01st September, 2026 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM).

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements published on today i.e. 03rd August, 2026 in the following newspapers:

- Financial Express (English)-All India edition
- Business Remedy (Hindi)- Rajasthan edition

The advertisement pertains to the Public Notice of the 17th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday 01st September, 2026 at 01:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), together with details regarding remote e-voting.

The said Newspaper Advertisements are also available on the website of the Company at: www.elfinagroindia.com.

Kindly take the aforesaid on your record.

Thanking You.

For Elfin Agro India Limited

**KHUSHBU
SETHI**

Digitally signed by
KHUSHBU SETHI
Date: 2026.08.03
11:40:29 +05'30'

Khushbu Sethi

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A40048

Place: Bhilwara

Encl: As above

पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए 9 एफटीए से पश्चिम बंगाल के चाय, मछलीपालन और हस्तशिल्प जैसे सेक्टर्स को होगा फायदा: पीयूष गोयल

नई दिल्ली | एजेंसी

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए नौ अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (एफटीए) से पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। विकसित बाजारों तक बेहतर पहुंच से राज्य के निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन एफटीए से चाय उत्पादकों, मछुआरों, पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों के साथ-साथ राज्य के युवाओं और महिलाओं को अधिक मौके मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी के नेतृत्व में हुए 9 अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा।

गोयल ने आगे कहा, कि बाजार तक बेहतर पहुंच से चाय उत्पादकों, मछुआरों, पारंपरिक हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों और राज्य के युवाओं व महिलाओं

को लाभ होगा। गोयल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच से उत्पादन बढ़ाने, निर्यात का विस्तार करने और पश्चिम बंगाल में कई क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि व्यापार

समझौतों से मिलने वाले लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया, इससे उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और टिकाऊ रोजगार पैदा होंगे, जिससे विकसित भारत का विजन आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, इस साल की शुरुआत में राज्य सरकार के एक सूत्र ने बताया कि कम से कम 42 उद्योगपतियों ने राज्य के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तापस रॉय से संपर्क किया है और पश्चिम बंगाल में निवेश करने की इच्छा जताई है। अधिकारी के अनुसार, मंत्री ने उन्हें इस संबंध में

सहयोग का भरोसा दिलाया है। सूत्र ने आगे कहा कि राज्य विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में निवेश से जुड़ी कई घोषणाएं की जा सकती हैं। सत्ता में आने के बाद, सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने कहा था कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा और वे खुद इस मामले में दखल देंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहली बार सत्ता में आने के बाद, केंद्र ने नीति आयोग से पश्चिम बंगाल के उद्योग व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी के नेतृत्व में यह काम पहले ही शुरू हो चुका है।

पीटीएचए ने सदस्यता अभियान और राजस्थान चैप्टर के गठन की प्रक्रिया शुरू की



जयपुर | बिजनेस रेमेडीज

प्रोफेशनल ट्रैवल एजेंट्स एंड होटल्स एसोसिएशन (पीटीएचए) ने राजस्थान में अपने संगठन के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्यव्यापी सदस्यता अभियान और राजस्थान चैप्टर के गठन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य राजस्थान के ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों और पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों को एक सशक्त एवं संगठित राष्ट्रीय मंच से जोड़ना है। पीटीएचए देशभर में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के पेशेवरों को नेटवर्किंग, व्यवसायिक अवसर, उद्योग सहयोग, ज्ञान साझा करने, कौशल विकास और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत एक उभरता हुआ राष्ट्रीय संगठन है। संगठन



का लक्ष्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित कर पर्यटन क्षेत्र के सतत एवं समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राजस्थान में इस सदस्यता अभियान और चैप्टर गठन की पहल का नेतृत्व संस्थापक सदस्यों बुधादेव ऋषि दीपक और अमन सोनी के द्वारा किया जाएगा। दोनों संस्थापक सदस्यों ने प्रदेशभर के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों को संगठन से जोड़ने, राज्य में एक मजबूत सदस्य आधार तैयार करने और भविष्य में पीटीएचए के आधिकारिक राजस्थान चैप्टर के गठन की दिशा में कार्य करेंगे। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि जयपुर और राजस्थान भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों में शामिल हैं और यहाँ पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएँ हैं।



पीटीएचए का यह सदस्यता अभियान उद्योग के विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग, पारदर्शिता और व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। संगठन से जुड़ने वाले सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग, व्यवसाय विस्तार, व्यापारिक आयोजनों में भागीदारी, पर्यटन प्रचार-प्रसार, उद्योग संबंधी कार्यक्रमों और विश्वसनीय व्यवसायिक समुदाय का लाभ प्राप्त होगा।

पीटीएचए ने राजस्थान के सभी ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों, रिसॉर्ट्स, होमस्टे संचालकों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स एवं पर्यटन से जुड़े पेशेवरों से इस सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने और राज्य में एक सशक्त पर्यटन नेटवर्क के निर्माण में सहभागिता निभाने का आह्वान किया है।

संस्थागत साझेदारियों से हथकरघा क्षेत्र होगा मजबूत, बुनकर होंगे सशक्त : डॉ. बीना

नई दिल्ली | एजेंसी

आईआईटी और निफ्ट जैसे प्रमुख संस्थानों की साझेदारी के माध्यम से ऐसे तकनीकी समाधान विकसित किए जा सकते हैं, जो बुनकरों की मेहनत को कम करें, पारंपरिक बुनाई प्रक्रियाओं में वैज्ञानिक सटीकता का समावेश करें और उनके आजीविका स्तर को बेहतर बनाने में मदद करें। यह बात रविवार को वस्त्र मंत्रालय के

विकास आयुक्त (हथकरघा) डॉ. एम. बीना ने कही।

डॉ. एम. बीना ने आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी) में आयोजित 'हैंडलूम हैकार्थॉन 2.0' को संबोधित करते हुए भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत और आधुनिक तकनीक के बीच पूरक संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित

इस हैकार्थॉन में 2,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देशभर से चुनी गई शीर्ष 100 टीमों के 280 प्रतिभागियों ने भारत के हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने में भागीदारी की। डॉ. बीना ने कहा, हथकरघा हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है, जबकि प्रौद्योगिकी भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। हैंडलूम हैकार्थॉन के माध्यम से हम इन दोनों क्षेत्रों को जोड़कर बुनकर समुदाय

के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हथकरघा स्वाभाविक रूप से टिकाऊ विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलैरिटी) को बढ़ावा देता है। साथ ही उन्होंने कच्चा संचालन, डिजाइन विकास और आधुनिक विण्णन के क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया।

आईआईटी दिल्ली के टेक्स्टाइल एवं फाइबर इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख डॉ. दीप्ति गुप्ता ने

कहा कि आईआईटी दिल्ली में स्थापित होने वाला 'सेंटर ऑफ़ एक्ससीलेंस फॉर हथकरघा टेक्नोलॉजी' हथकरघा और तकनीक के एकीकरण को और मजबूत करेगा। इससे हस्तनिर्मित वस्त्रों की विशिष्टता को बनाए रखते हुए अधिक मानकीकरण और उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह केंद्र वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से अगले सप्ताह उद्घाटित किए जाने का प्रस्ताव है।

क्रिसिल ने कायम रखी ईएसएल स्टील की एए रेटिंग, स्टील कारोबार के विस्तार की वेदांता ग्रुप की रणनीति को मिला समर्थन

नई दिल्ली | बिजनेस रेमेडीज

क्रिसिल रेटिंग्स ने ईएसएल स्टील लिमिटेड की दीर्घकालिक रेटिंग को क्रिसिल एए/स्टेबल पर बरकरार रखा है और कंपनी को 'रेटिंग वाच विद डेवलपिंग इम्प्लिकेशंस' (निगरानी श्रेणी) से हटा दिया है। यह फैसला वेदांता ग्रुप के स्टील कारोबार की रणनीतिक दिशा में क्रिसिल के भरोसे को दिखाता है, क्योंकि कंपनी की कुल आय की सबसे बड़ी योगदानकर्ता बनने की दिशा में बढ़ रही है। एजेंसी ने कहा कि ईएसएल 'वेदांता आयरन एंड स्टील (NSE: VISTL) की वैल्यू चेन और दीर्घकालिक कारोबारी रणनीति का अभिन्न हिस्सा है'।

वेदांता ग्रुप के ऐतिहासिक डीमर्जर (विभाजन) के सफलतापूर्वक पूरा होने के क्रिसिल द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के



तहत यह फैसला किया गया है। समीक्षा के दौरान क्रिसिल ने वेदांता लिमिटेड (NSE: VEDL), वेदांता एल्युमीनियम (NSE: VAML) और वेदांता ऑयल एंड गैस (NSE: VOGL) की रेटिंग में सुधार किया है। साथ ही वेदांता पावर (NSE: VEDPOWER) की गारंटीड फैसिलिटीज की रेटिंग को एए+ (सीई) कर दिया है। वेदांता के विकास के अगले चरण में स्टील कारोबार की भूमिका : क्रिसिल ने अपनी रेटिंग के आधार में स्पष्ट कहा है कि ईएसएल वेदांता ग्रुप के लिए रणनीतिक रूप से गहृत महत्वपूर्ण

कंपनी है। क्रिसिल ने अनुमान जताया है कि मध्यम अवधि में यह कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील की आय में सबसे बड़ी योगदानकर्ता के रूप में उभरकर नजर में आएगी। क्रिसिल का यह भरोसा मूल कंपनी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की तरफ से लगातार मिल रहे मजबूत ऑपरेशनल, प्रबंधन एवं फाइनेंशियल सपोर्ट पर आधारित है। इसमें ईएसएल के दीर्घकालिक ऋण (लॉन्ग-टर्म डेट) पर बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय (अनकंडीशनल एवं इररेवोकैबल) कॉरपोरेट गारंटी भी शामिल है।

ज्यादा मजबूत और फोकस्ड ग्रुप का हिस्सा : ईएसएल की रेटिंग की पुष्टि डीमर्जर (विभाजन) के बाद वेदांता की क्रेडिट स्ट्रेंथ

(मजबूत होती वित्तीय स्थिति) की बड़ी तस्वीर को दिखाने वाली है। ग्रुप के लेवल पर क्रिसिल ने कहा कि नेट-डेट-टु-एंबटल वित्त वर्ष 2025-26 में सुधारकर दोगुना रह गया, जो सालभर पहले 2.55 गुना था। क्रिसिल का अनुमान है कि इस अनुपात में आगे भी सुधार जारी रहेगा, जिससे ईएसएल की विकास योजनाओं को मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा। क्रिसिल ने वेदांता ग्रुप की समग्र मजबूती पर जोर देते हुए कहा- 'वेदांता ग्रुप के पास जिंक, सिल्वर, लेड, एल्युमीनियम, कॉपर एवं निकेल जैसी धातुओं का विविधीकृत पोर्टफोलियो है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर परिचालन, विभिन्न कारोबारी सेगमेंट में मजबूत बाजार हिस्सेदारी (मार्केट शेयर) और कॉस्ट-एफिशिएंट ऑपरेशंस (लागत-कुशल संचालन) समूह की परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाते हैं'।



मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड

सीआईएन: L24121RJ1997PLC029126

पंजीकृत कार्यालय: विंग ए/1, 1st फ्लोर, ओस्टवाल हाइट्स, अर्बन फारेस्ट, आदन, भीलवाड़ा, 311802,राजस्थान, फोन नं.- 01482-237104

ई-मेल: secretarial@mbapl.com, वेबसाइट: www.mbapl.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 01/2026-27अतिरिक्त सामान्य बैठक के संबंध में जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य नियमों के साथ बनाए गए नियम सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर 2024 और 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर 2025, सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी 2023, 7 अक्टूबर, 2023 और 3 अक्टूबर, 2024 इसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे भारतीय प्रतिभूति और निविमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढ़ा गया (इसके बाद सामूहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित), के तहत वार्षिक आम बैठक कंपनी की (ईजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') /अन्य ऑडियो-विजुअल के माध्यम से शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी। जिसमें ईजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसायों को सम्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (अटारीए)/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.mbapl.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('NSE') की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने के निर्देश और भागीदारी का तरीका नोटिस में दिया जाएगा। वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोटिस और अन्य संचार भेजने के लिए, निम्न सदस्यों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे तुरंत पंजीकृत करें और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, किंगडोम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को investor@bigshareonline.com पर संपर्क कर पंजीकृत करें।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निष्पक्षित प्रस्ताव पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग की सुविधा भी देगी। ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में प्रदान की गई है।

कृते मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड

हस्ताक्षरित /

(पहली सुचवाल)

कम्पनी सचिव

स्थान- भीलवाड़ा

तिथि- 30/07/2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 सीजन के बीमांकन के संबंध में वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश

जयपुर | बिजनेस रेमेडीज

राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत खरीफ 2026 एवं रबी 2026-27 सत्र की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। योजना के प्रावधानों के अनुसार खरीफ 2026 के नामांकन शुरू होने पर वित्तीय संस्थानों का यह दायित्व है कि पात्र किसानों से संबंधित भूमि रिकॉर्ड, फसल का नाम, केसीसी आदि की समस्त जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सही-सही दर्ज की जाए। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक, राजस्थान ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा सीएससी के राज्य प्रमुख को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

पत्र में कहा गया है कि विगत वर्षों में प्रायः यह देखा गया है कि बीमाकर्ता वित्तीय संस्थान किसानों की भूमि एवं फसल संबंधी विवरण की जांच किए बिना ही फसल बीमा पॉलिसियां सृजित कर देते हैं।

किसानों के वास्तविक विवरण और सृजित पॉलिसियों के विवरण में भिन्नता होने के कारण फसल बीमा के क्लेम विवादित हो जाते हैं तथा उनमें विलंब होता है। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को रोकने के लिए आयुक्त कृषि ने निर्देश दिए हैं कि भविष्य में पॉलिसी सृजन के समय किसानों के फसल बीमा संबंधी समस्त विवरण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सही रूप से दर्ज किए जाएं। किसानों द्वारा बोई गई फसल अथवा प्रस्तावित बोई जाने वाली फसल का सही विवरण ही पोर्टल पर इंद्राज किया जाए। यदि बीमित फसल और किसानों की वास्तविक बोई गई फसल में कोई भिन्नता पाई

जाती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित वित्तीय संस्थान की होगी।

आयुक्त ने विशेष रूप से यह भी स्पष्ट किया है कि फसल बीमा पॉलिसी के लिए नामांकन संबंधित किसान की सहमति से ही किया जाए। किसान की जानकारी के बिना केवल केसीसी में अंकित फसल के आधार पर स्वयं के स्तर से फसल बीमा पॉलिसी सृजित करना किसानों के हित में नहीं है। कृषि आयुक्त ने सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों से कहा कि वे योजना के प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को समय पर और सही फसल बीमा सुरक्षा मिल सके तथा क्लेम संबंधी विवादों से बचा जा सके।